

पूर्व मध्य रेल
समस्तीपुर मंडल

पेंशन अदालत दिनांक-30.12.2020

WhatsApp के माध्यम से आवेदन प्राप्त की अंतिम तिथि - 29.12.2020

अधिसूचना

पेंशन परिवारों के निष्पादन के लिए पेंशन अदालत का आयोजन समस्तीपुर मंडल में दिनांक-30.12.2020 (बुधवार) को 15.00 बजे से किया जाना है। पेंशन अदालत में शामिल होने के लिए सेवानिवृत्त कर्मचारी/मृत कर्मचारी के आश्रित अपने पेंशन से संबंधित परिवारों का पूरा विवरण निम्न प्रारूप में मुकार्याधी/समापक भुगतान/कार्गिक/समस्तीपुर के मोबाईल संख्या- 9771462680 पर WhatsApp के माध्यम से दिनांक-29.12.2020 तक प्रेषित कर सकते हैं। उक्त पेंशन अदालत COVID के कारण Video Conferencing के माध्यम से किया जायेगा।

- 1 आवेदक का नाम :-
- 2 भूषण कर्मचारी का नाम :-
- 3 पदनाम एवं अंतिम कार्यस्थल :-
- 4 भूषण कर्मचारी के साथ आवेदक/आवेदिका का संबंध :-
- 5 वर्तमान पता :-
- 6 सेवानिवृत्ति की तिथि :-
- 7 सेवानिवृत्ति के प्रकार (सामान्य/स्वैच्छिक/अनिवार्य) :-
- 8 भूषण कर्मचारी की मृत्यु तिथि :-
- 9 प्राप्त किया गया अंतिम वेतन एवं वेतनमान :-
- 10 सेवानिवृत्ति के समय नियंत्रण अधिकारी :-
- 11 पेंशन भुगतान आदेश सं० (P.P.O No. की स्पष्ट प्रति संलग्न करें) :-
- 12 बैंक का अद्यतन खाता की स्पष्ट छायाप्रति जिसमें आई.एफ.एस. कोड एवं खाता संख्या अंकित हो :-
- 13 शिकायतों का विस्तृत विवरण :-
- 14 मोबाईल नं० :-
- 15 ई मेल आईडी:-

आवेदक का हस्ताक्षर

पेंशन संबंधी परिवार उपर दिये गये प्रारूप में भर कर, जिसके उपर पेंशन अदालत 30.12.2020 लिखा हो, उपरोक्त मोबाईल संख्या पर दिनांक-29.12.2020 को, रांध्या 17:00 बजे तक अथवा इसके पूर्व प्रेषित किया जाना आवश्यक है। वैसी शिकायतों जो पेंशन से जुडी नहीं है जैसे अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिए प्रार्थना, आश्रितों के नियोजन, कालबद्ध वेतन का भुगतान, भर्तों एवं बढोत्तरी आदि, पेंशन अदालत के अंतर्गत विचारणीय नहीं होगी।

सेवानिवृत्ति के 15 वर्ष या अधिक पूरा कर चुके पेंशनर कृपया ध्यान दें:-

सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी कम्प्यूटेशन (पेंशन सारांशिकरण) की तिथि से 15 वर्ष पूरा होने पर पेंशन (वर्तमान पेंशन 1 सारांशिकरण) के भुगतान हेतु कृपया पेंशन वितरक पदाधिकारी (अर्थात बैंक/डाकघर आदि) से सीधे सम्पर्क करें।

(चन्द्र किशोर)

सहायक कार्गिक अधिकारी-11

पूर्व मध्य रेल, समस्तीपुर

दिनांक- 23.12.2020

संख्या:-का/207/समापक भुगतान/पेंशन अदालत-2020/XIII

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 01 निजी सचिव-1/प्रमुकाधि-प्रमुकाधि महोदय के सादर सूचनार्थ।
- 02 निजी सचिव-1/मरेप्र-मरेप्र महोदय को सादर सूचनार्थ।
- 03 गोपनीय सहायक/अमरेप्र-अमरेप्र महोदय को सादर सूचनार्थ।
- 04 वमकाधि/सम० -वमकाधि महोदय को सादर सूचनार्थ।
- 05 वमवाप्र/सम० -वे कृपया इसका प्रकाशन स्थानीय समाचार पत्रों में कराये जाने की व्यवस्था करें।
- 06 मुकार्याधी/अनुश्रवण प्रकोष्ठ वे कृपया इसे वेबसाईट पर अपलोड करें।
- 07 मंडल मंत्री-ईसीआरकेयू, अजा-अजजा, ओवीसी एशॉ० एवं पेंशनर एशॉ०/समस्तीपुर मंडल।
- 08 सूचना पट्ट।

कृते मंडल रेल प्रबंधक(का०)
पूर्व मध्य रेल, समस्तीपुर